



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22112022-240460
CG-DL-E-22112022-240460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5204]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944

No. 5204]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5433(अ).—केंद्रीय सरकार धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2022 (2022 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित रिपोर्ट की गई इकाईयां, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन निजता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करेंगे तथा आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के और समुचित विनियामक अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक साथ परामर्श के पश्चात् ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, उक्त रिपोर्ट की गई इकाईयों को धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन का निष्पादन करने के लिए अनुज्ञात करती है, अर्थात्—

सारणी

क्रम सं.	रिपोर्ट की गई इकाईयां
(1)	(2)
1.	पहल फाइनेन्सल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2.	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड कैपिटल लिमिटेड
3.	कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
4.	एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

[फा.सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर]

शशांक मिश्रा, निदेशक (मुख्यालय)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

S. O. 5433(E).— In exercise of the power conferred by proviso to sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2002) (hereinafter referred to as the Money-Laundering Act), the Central Government being satisfied that the reporting entities mentioned in the table below shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entities to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money Laundering Act, namely:-

TABLE

S.No.	Reporting Entities
(1)	(2)
1.	Pahal Financial Services Private Limited
2.	Standard Chartered Capital Limited
3.	Capri Global Housing Finance Limited
4.	SRG Housing Finance Limited

[F.No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR]

SHASHANK MISRA, Dir. (Headquarter)